

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बसिया (गुमला)

अनुमति वाद संख्या 60 / 2021-22

आदेश की कं०सं० एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश प की गई कार्रवाई व बारे में टिप्पणी																																				
19/4/22	आवेदक गोन्दे केरकेटटा, पिता स्व० अलबिस केरकेटटा, ग्राम बनईडेगा, जाति खड़िया, थाना – पालकोट, जिला– गुमला (झारखण्ड) ने निम्नांकित विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित छोटेनागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमिति वाद प्रारम्भ किया गया। भूमि का विवरणी <table><tr><th>राजस्व ग्राम</th><th>थाना सं०</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकबा</th><th>जमीन किस्म</th></tr><tr><td>बनईडेगा</td><td>39</td><td>48</td><td>2307</td><td>0.63 ए० में से 0.15 ए० भूमि</td><td>डुमर दोन</td></tr><tr><td>बनईडेगा</td><td>39</td><td>48</td><td>2311</td><td>0.84 ए० में से 0.21 ए० भूमि</td><td>तुरी दोन</td></tr><tr><td>बनईडेगा</td><td>39</td><td>48</td><td>2118</td><td>0.03 एकड़</td><td>पुटकल बाड़ी</td></tr><tr><td>बनईडेगा</td><td>39</td><td>48</td><td>2327</td><td>0.22 एकड़</td><td>अमा परती</td></tr><tr><td>बनईडेगा</td><td>39</td><td>48</td><td>2461</td><td>1.88 ए० में से 0.47 ए० भूमि</td><td>कुसुम टांड</td></tr></table> कुल रकबा 1.08 एकड़ (एक एकड़ आठ डिसमील) प्लॉट सं० 2307 का चौहदी :- उत्तर में – दोन एतवा खड़िया, दक्षिण में – दोन सुकरा खड़िया, पुरब में – पहाड़, पश्चिम में – पहाड़। प्लॉट सं० 2311 का चौहदी :- उत्तर में – दोन एतवा खड़िया, दक्षिण में – सोमा खड़िया, पुरब में – दोन सुकरा खड़िया, पश्चिम में – दोन एतवा खड़िया। प्लॉट सं० 2118 का चौहदी :- उत्तर में – टांड पाकु खड़िया, दक्षिण में – टांड पाकु खड़िया, पुरब में – टांड फगन देवी, पश्चिम में – मकान पाकु खड़िया। प्लॉट सं० 2327 का चौहदी :- उत्तर में – टांड एतवा खड़िया, दक्षिण में – टांड एतवा खड़िया, पुरब में – टांड सुरेश कुल्लू, पश्चिम में – टांड चरकु खड़िया। प्लॉट सं० 2461 का चौहदी :- उत्तर में – टांड चरकु खड़िया, दक्षिण में – दोन जेवियर उरॉव, पुरब में – जंगल झांडी, पश्चिम में – टांड चरकु खड़िया।	राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमीन किस्म	बनईडेगा	39	48	2307	0.63 ए० में से 0.15 ए० भूमि	डुमर दोन	बनईडेगा	39	48	2311	0.84 ए० में से 0.21 ए० भूमि	तुरी दोन	बनईडेगा	39	48	2118	0.03 एकड़	पुटकल बाड़ी	बनईडेगा	39	48	2327	0.22 एकड़	अमा परती	बनईडेगा	39	48	2461	1.88 ए० में से 0.47 ए० भूमि	कुसुम टांड	
राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमीन किस्म																																	
बनईडेगा	39	48	2307	0.63 ए० में से 0.15 ए० भूमि	डुमर दोन																																	
बनईडेगा	39	48	2311	0.84 ए० में से 0.21 ए० भूमि	तुरी दोन																																	
बनईडेगा	39	48	2118	0.03 एकड़	पुटकल बाड़ी																																	
बनईडेगा	39	48	2327	0.22 एकड़	अमा परती																																	
बनईडेगा	39	48	2461	1.88 ए० में से 0.47 ए० भूमि	कुसुम टांड																																	



जमीन विक्रेता का विवरणी

गोन्दे केरकेटटा, पिता स्व0 अलबिस केरकेटटा, ग्राम बनईडेगा, जाति खड़िया,
थाना - पालकोट, जिला - गुमला

जमीन केता का विवरणी

पैरो केरकेटटा, पिता गोन्दे केरकेटटा, जाति खड़िया, ग्राम बनईडेगा थाना -
पालकोट, जिला- गुमला ।

आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित केता पैरो केरकेटटा, पिता गोन्दे केरकेटटा, जाति खड़िया, ग्राम बनईडेगा, थाना - पालकोट, जिला- गुमला को राशि रुपये 1,00,000 (एक लाख) रुपये पर बिक्री करने का तय हुआ है। आवेदक को मकान बनाने/इलाज हेतु/हर बैल खरीदने हेतु रुपय की आवश्यकता है। रुपये आने का अन्य कोई श्रोत नहीं होने के कारण ही आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे हैं। अंचलाधिकारी, पालकोट को आवेदन भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम ईशतेहार निर्गत किया गया।

अंचलाधिकारी, पालकोट के कार्यालय का पत्रांक 65(ii)/रा0 दिनांक 01/02/2022 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक के पास प्रयाप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूम बन्दोबस्ती, भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति खड़िया के हैं साथ ही एक ही थाना के निवासी हैं।

अतः अंचल अधिकारी, पालकोट के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर उपरोक्त विवरण की भूमि को आवेदक गोन्दे केरकेटटा, पिता स्व0 अलबिस केरकेटटा, ग्राम बनईडेगा, जाति खड़िया थाना - पालकोट जिला- गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि रुपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनों में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


भूमि सुधार उप -समाहर्ता
बसिया (गुमला)




भूमि सुधार उप -समाहर्ता
बसिया (गुमला)